

**SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998**  
**IN THE COURT OF A.K.Gupta J.M.F.C. Gohad , DIST-. Bhind (M.P)**

Case No 132/18 Sum

Complaint or report made on 23-05-18

Name and address of the Complainant Police station Malanpur

Name , parentage, caste and address of accused

सुनील पुत्र पूरन वाल्मीक उम्र 25 साल  
निवासी कुम्हेरी थाना बागचीनी जिला मुरैना म०प्र०

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 23.05.18 को समय लगभग 14:30 बजे, स्थान जमुना ऑटो फैक्ट्री के सामने मालनपुर अंतर्गत थाना मालनपुर में वाहन मोटरसाईकिल क्र० एम०पी०-०६ एम०एच०-3800 को बिना बीमा एवं बिना चालन अनुज्ञप्ति के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाया जिससे आहत जितेन्द्र को साधारण उपहति कारित हुई इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि भा०द०वि० की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधि० की धारा 3/181, 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

**(A.K.Gupta)**

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है। माफ किया जावे।

**(A.K.Gupta)**

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 19.06.18 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे भा०द०वि० की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधि० की धारा 3/181, 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी सुनील पुत्र पूरन वाल्मीक को भा.द.वि. की धारा 279, 337 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए, भादवि० की धारा 71 एवं दप्रस की धारा 222 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं रुपये 1000/- (एक हजार रुपये) तथा मोटरयान अधि० की धारा 3/181, 146/196 के अधीन क्रमशः 500 रुपये एवं 1000 (पांच सौ व एक हजार रुपये) कुल 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 30 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
04. जप्तपुदा सम्पत्ति वाहन मोटरसाईकिल क्र० एम०पी०-०६ एम०एच०-३८०० को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर टंकित

(A.K.Gupta)  
Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)